छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशाासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर

क्र / न.प्र. / 2020 / **38** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **21** / 03 / 2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़।
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, छ0ग0।
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत, छ0ग0।

विषय :– **नगरीय निकायों में कार्यरत् श्रमिकों का COVID-19 वायरस से बचाव के संबंध में निर्देश।**

––00––

उपरोक्त विषयांतगर्त लेख है कि, नगरीय निकायों में विभिन्न कार्य हेतु कार्यरत् एजेसियों द्वारा श्रमिकों का COVID-19 से बचाव हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों को अधिकतम चार–चार श्रमिकों के दल में बाँटा जावेगा, किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों को एक दल से दुसरे दल में नहीं बदला जावेगा।
2. किसी भी एक स्थान पर 04 से अधिक श्रमिकों से काम नहीं लिया जावेगा।
3. यदि 04 से अधिक श्रमिकों से कार्य कराया जाना हो, तो ऐसी स्थिति में 02 या अधिक दलों से काम लिया जा सकेगा, किन्तु 02 दलों के मध्य कम–से–कम 02 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
4. कार्यरत् श्रमिकों को मास्क, ग्लब्स, हेलमेट, तथा बुट प्रदान करना अनिवार्य होगा।
5. श्रमिकों को हाथ धोने हेतु साबुन प्रदान किया जावेगा तथा खाना खाने, पानी पीने अथवा दिन एवं समय–समय पर हाथ धोने के निर्देश दिया जावे।

उपरोक्त निदेर्शों का तत्काल पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

क्र / न.प्र. / 2020 / **39** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक **21** / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागायुक्त, रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / बस्तर एवं सरगुजा।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
5. समस्त संयुक्त संचालक, न.प्र.वि.वि. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / सरगुजा / बस्तर।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग